

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्तभवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर-302005


(दूरभाष 0141-2740837, फैक्स 0141-2742309, ईमेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:-प.(ई)निप/(लिक नंबर-10242/2013)/अलेसे-II/ 2601-07 दिनांक:- 05-02-2025

कार्यालय आदेश

श्रीमती किरण मास्ते, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II, कार्यालय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, गोवर्द्धन विलास, उदयपुर को पूर्व पदस्थापित कार्यालय जिला कलक्टर (भू.अ.) उदयपुर के आदेश क्रमांक एफ-91(बी)23 (जांच) भू.अ./24/2812 दिनांक 15.04.2024 एवं संशोधित आदेश क्रमांक 2891 दिनांक 19.04.2024 एवं आदेश क्रमांक सम/2024/4422-28 दिनांक 19.06.2024 द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम-1958 के नियम-17 के अंतर्गत आरोप-पत्र जारी कर श्रीमती किरण मास्ते को लिखित चेतावनी देकर अपना आचरण सकारात्मक रखते हुए राजकीय कार्य संपादित करने हेतु निर्देशित किया गया था।

निदेशालय स्तर से प्रकरण का परीक्षण करने पर श्रीमती किरण मास्ते के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम-1958 के नियम-19-ख के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप नहीं होने के कारण उक्त अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं लिखित चेतावनी को एतद्वारा अपास्त किया जाता है।



(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन

संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:-प.(ई)निप/(लिक नंबर-10242/2013)/अलेसे-II/ 2601-07 दिनांक:- 05-02-2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. जिला कलक्टर (भू.अ.) उदयपुर।
2. प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर।
3. उप निदेशक (जांच) कार्यालय हाजा।
4. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
5. एसीपी उपनिदेशक को वेबसाइट पर उपलोड हेतु।
6. श्रीमती किरण मास्ते, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II, कार्यालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, गोवर्द्धन विलास, उदयपुर राजस्थान।
7. पदस्थापन सीट/निजी पत्रावली



(सोमा कौशल)

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)